न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर प्रथम

सीताराम बनाम माली राम के

मुकदमा संख्या / वर्ष : नं० – 11/2014 / 20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27/5/15	पत्रावली पेश हुयी प्रार्थी अधिवक्ता T.K. मिश्रा हाजिर हैं। अप्रार्थी सं. 05 व 07 की ओर से अधिवक्ता श्री रवि शर्मा उपस्थित हैं। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा - 212 राज० काश्तकारी अधिनियम मपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा - 151 सी०पी०सी० पर बहस सुनी गयी। माननीय सभा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 24.5.2013

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (उत्तर) बनाम सीताराम/ माल...

संख्या [illegible]

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27/5/16	की पालना में उभयपक्षकारान की अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों आवश्यक तत्वों पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रा०पत्र के चरण संख्या-02 में उल्लेखित भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सहकृषक खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने आगे कथन किया कि दिनांक 01-11-2006 को जब प्रार्थीगण अपनी भूमि पर थे तब अप्रार्थीगण एकराय होकर विवादित भूमि पर आए तथा प्रार्थी को बेदखल करने	

[illegible]

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर (उत्तर)

फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

नाम न्यायालय सहायक कलेक्टर ...

केस संख्या -/11/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	27/5/25	की धमकियाँ देने लगे। अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित भूमि पर प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग-उपभोग में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना करे, प्रार्थी को उनके वर्तमान कब्जा-काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। अप्रार्थी सं. 4-7 अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने जवाबी कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं भिन्न विपक्षीगण अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। अप्रार्थीगणों ने निवेदन किया कि संलग्न

फर्द अहकाम

बनाम

सहायक कलक्टर
कार्यालय जयपुर शहर प्रथम

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
27/5/24	नक्शे में वर्णितानुसार पक्षकारों के वर्तमान कब्जे काश्त के अनुसार भिन्न विपक्षीगण ने उक्त आराजीयात का विधिवत रूप से विभाजन कराए जाने से कभी प्रार्थीगण को इंकार नहीं किया, ना ही भिन्न विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेदखल करने की कोशिश की गयी। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र खारिज फरमाए जावे। पत्रावली में शामिल जबाव प्रा० पत्र, अप्रार्थी सं. 1 व 3, काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा-अप्रार्थी सं. 1 व 3 एवं जबाब प्रा० पत्र अप्रार्थी सं 05 व 06 का	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

सीताराम बनाम माली राम वगैरह

सहायक कलक्टर
...म न्यायालय शाहपुरा
...स संख्या 11/24

...क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	27/5/25	भी अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण विवादित भूमि में रिकॉर्डेड सहखातेदार हैं। प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, विभाजन के वाद के साथ पेश हुआ है विवादित भूमि का विभाजन नहीं हुआ है अविभाजित भूमि में सभी सहखातेदारों का इंच इंच में हिस्सा निहित होता है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में

सहायक कलक्टर
शाहपुरा

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Sitaram बनाम Ramkumar

संख्या 1/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27/5/25	साबित है। चूंकि प्रार्थी रिकॉर्ड खातेदार है तो सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है। तीसरा, चूंकि प्रार्थी अविभाजित भूमि पर काश्त कर रहा है. दौराने वाद यदि किसी पक्ष द्वारा प्रार्थी के कब्जे - काश्त में दखल अंदाजी की जाती है, विशिष्ट भू - भाग पर निर्माण किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होने की सम्भावना है। अतः वाद - बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय-वस्तु को संरक्षित रखने हेतु	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय [illegible]

केस संख्या 1/1/2014

[illegible] बनाम [illegible]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	27/5/25	प्रार्थी का प्रा०पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा एवं अप्रार्थीगण का काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के प्रा०पत्र के चरण सं-2 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1193 रकबा 34 बीघा 2 बिस्वा, ग्राम पचार, तहसील व जिला जयपुर पर उभयपक्षकारान को दावा-दायरी के समय की मौके की यथा-स्थिति बनाए रखने हेतु ताफैसला पाबंद किया जाता है। उभयपक्षकारान किसी विशिष्ट भू-भाग पर निर्माण कार्य नहीं करेंगे। निर्णय आज दिनांक 27/05/2025 को सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर (प्रथम)

फर्द अहकाम

सीताराम बनाम भाजीराम वगै०

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर (उत्तर)

न्यायालय

संख्या 70/11/2017

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	27/5/25	पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो, दर्ज नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर जयपुर शहर (उत्तर)